

प्रेषक,

संख्या: /XXIV-2/2005

राधा रत्नौड़ी,

सचिव,

उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्।

शिक्षा केन्द्र -2,

समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,

नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून

दिनोंक

28 फरवरी, 2005

विषय: ग्रीन लॉन एकेडमी डाकरा बाजार, गढ़ी कैण्ट, देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि ग्रीन लॉन एकेडमी डाकरा बाजार, गढ़ी कैण्ट, देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नालिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाभित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहें और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संबंधित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शारान देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

-2-

- 5— संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण रांथाओं के कर्मचारियों को अनुग्रन्थ वेतनमानों तथा अन्य भत्तों रो कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10— विद्यार्थियों रो प्रतिबन्धित शुल्क नहीं लिये जायेंगे।
- 11— रुपी०बी०एस०रुपी० से सम्बद्धता होने पर कार्यस्त कार्भिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि एक गाह के अन्दर दो दो जायेगी तथा पुरतकालय एवं प्रयोगशाला कक्ष एक वर्ष के अन्दर निर्धारित माप के बना लिये जायेंगे।
- 2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की छूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रत्नौड़ी)

सचिव

मुख्या: श्र. (1) XIV-2/2005 तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल—पौड़ी।
- 3— जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 4— प्रबन्धक, ग्रीन लॉन एकेडमी डाकखाना बाजार, गढ़ी कैण्ट, देहरादून।
- 5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव